

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

संचिका संख्या-12/चक0 मु0 (26-क)-02/2016(खण्ड-II)

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।

अनुसूची

क्र०	अंचल	मौजा का नाम	थाना नं०
1	इटाढ़ी	सिकटौना	269
2	इटाढ़ी	मुरारपुर	494
3	इटाढ़ी	परासी	256
4	इटाढ़ी	विनोदपुर	481
5	इटाढ़ी	चिलबिली	496
6	इटाढ़ी	बसांवखुर्द	426


बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0ओ0-86/चक० दिनांक-16/01/2026 /एस0ओ0

दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


13.01.2026
सरकार के उप सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।